

36

कार्यालय आयुक्त, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

NO MEMO/PRO/DRC

संख्या 2049 प्र0अ0/आर0ए0-2

दिनांक :- 24-6-11

जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर
28/6/11

आदेश

जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 1568/बारह-ए/डी0एल0 आर0सी0 दिनांक 16-3-2011 एवं पत्र संख्या 2447/बारह-ए/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 24-6-2011 के आधार पर शासनादेश संख्या 1678/एक-1/2004-1-1(10)/2002-15-रा-1 दिनांक 29.10.2004 का आदेश परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1951) की धारा-117 की उपधारा-6 के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-258/रा-1-16(1) 73 दिनांक 07.05.1981 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए, मैं सुरेश चन्दा, आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर संलग्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 29.10.2004 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गाँव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-

अनुसूची

क्र0स0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाँव समा/स्थानीय प्राधिकारी	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुजफ्फरनगर	शामली	कांधला	फजैलपुर	फजैलपुर	330	2.049 हे०	आई0टी0 महानाया पालिटैक्निक की स्थापना हेतु

कलेक्टर

संख्या 2449
दिनांक 29/6/11

(सुरेश चन्दा)

आयुक्त,

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर

संख्या एवं दिनांक संवेद।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 2- सचिव, राज्य अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राज्य परिवहन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- 4- जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर

आयुक्त,

सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर